राधा रमन सामंत

बनाम

बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

19 दिसंबर, 2003

[न्यायाधिपति एस. राजेंद्र बाबू और न्यायाधिपति रूमा पाल]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 226

रिट याचिका- उच्च न्यायालयों की शक्ति- आयोजितः कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। रिट याचिका- निर्विवाद तथ्यों की परीक्षा का दायरा और परिधि -आयोजितः अनुच्छेद 226 के तहत किसी कार्यवाही में वर्जित नहीं है। श्रम कानूनः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: धारा 25 सी स्पष्टीकरण। बादली कामगार-परिभाषा-आयोजितः केवल धारा 25 सी विश्लेषण के उद्देश्यों तक ही सीमित है।

अपीलार्थी को उत्तरदाता बैंक की शाखाओं में से एक में एक स्थायी रिक्ति के विरूद्ध बदली अधीनस्थ कर्मचारी/सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने लगभग 492 दिनों तक वहां काम किया था। इसके बाद, अपीलार्थी को अब और काम नहीं करने के लिए कहा गया।

व्यथित होकर अपीलकर्ता ने उसे एक नियमित कर्मचारी के रूप में शामिल करने के लिए प्रतिवादी-बैंक को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार कर ली। हालाँकि, डिवीजन बेंच ने यह निर्धारित करने के लिए रिट याचिका को एकल न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया कि अपीलकर्ता बदली कार्यकर्ता था या नहीं।

एकल न्यायाधीश ने पाया कि अपीलार्थी एक बदली कार्यकर्ता था जिसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों तक निरंतर सेवा प्रदान की थी और उत्तरदाता को उसे अवशोषित करने का निर्देश दिया। हालांकि, डिवीजन बेंच ने अपील में कहा कि अपीलकर्ता को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाना चाहिए था और इसलिए, रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए याचिका दायर की गई है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. पहले के मौके पर जब मामला था, डिवीजन बेंच द्वारा विचार किए जाने पर, प्रतिवादी-बैंक ने वैकल्पिक उपाय का कोई मुद्दा या रिट याचिका की गैर-धारणीयता से संबंधित कोई प्रश्न नहीं उठाया। जब ऐसे मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे और नहीं उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं उठाए गए थे, तो यह माना जाना चाहिए कि खंड पीठ ने ऐसी दलीलों को खारिज कर दिया था और एकल न्यायाधीश को मामले को वापस भेजने वाले खंड पीठ के आदेश को अपील में नहीं लिया गया था और यह अंतिम हो गया था।

इसलिए, एकल न्यायाधीश केवल एक मुद्दे पर संबोधित करने के लिए बाध्य था, जिस पर मामला रिमांड पर लिया गया था। इस प्रकार, डिवीजन बेंच रिमांड के बाद दूसरे अवसर पर एकल न्यायाधीश के आदेश से उत्पन्न अपील में इन तथ्यों की अनदेखी नहीं कर सकती थी और सवाल में जाने की आवश्यकता नहीं थी।

इस बारे में कि क्या रिट याचिका पर बिल्कुल भी विचार किया जा सकता था या नहीं। [ 1177 - एफ-एच; 1178-ए]

1.2. उच्च न्यायालयों ने अक्सर कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। इसलिए, यह एकल न्यायाधीश के लिए खुला है कि वह प्रतिवादी-बैंक को उचित निर्देश जारी कर सके, यदि अन्यथा तथ्यों पर उचित हो। [1178-बी-सी)

स्टाइल (ड्रेस लैंड) बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, [1999] 7 एस. सी. सी. 89,पर भरोसा किया।

2. एकल न्यायाधीश के लिए निर्विवाद रूप से दस्तावेज़ की जांच करना और अपीलार्थी के रोजगार की स्थिति के बारे में अनुमान लगाना अनुचित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में निर्विवाद तथ्यों की जांच वर्जित नहीं है। [1178 - ई-एफ]

के. के. कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य, [1959] 2 सप. एस. सी. आर. 316; इकराम हुसैन, मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1954] 5 एस. सी. आर. 56 और ए. पी. सरकार बनाम कारी चिन्ना वेंकट रेड्डी, [1995] सप। 1 एस. सी. सी. 462, पर भरोसा किया।

3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 सी के स्पष्टीकरण के तहत बदली कर्मकार की परिभाषा उस धारा के उद्देश्यों तक ही सीमित है और वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों पर जरूरी नहीं है। [1179-सी-डी]

लालप्पा लिंगप्पा बनाम लक्ष्मी विष्णु टेक्सटाइल मिल्स, [1981] 2 एस. सी. सी. 238 और बज बज जूट मिल्स कं. लिमिटेड बनाम वर्कमैन, (1970) 1 एल. एल. जे. 222, संदर्भित।

4. अपीलार्थी के कार्य विवरण का नामकरण बदल सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने 240 दिनों से अधिक के लिए अस्थायी पद की रिक्ति में सेवाएँ प्रदान की थीं। यह अपीलार्थी को अवशोषण के उद्देश्य से बदली मानने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, उसे प्रत्यर्थी-बैंक में शामिल होने का कानूनी अधिकार है। [1179 - एफ-जी]

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय बनाम राठौड़ लाभु बेचार [2001] 3 एस. सी. सी. 574, का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2063/ 2000

कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 26.4.1999 के निर्णय और आदेश से एम. ए. टी. सं. 3014/1998

अपीलार्थी के लिए एस. मुरलीधर।

उत्तरदाताओं के लिए के. वेणुगोपाल, सुश्री नीना गुप्ता, उदय गुप्ता, सुश्री अर्पिता महाजन और सुश्री प्रणीता शर्मा।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति राजेन्द्र बाबू :

क्या अपीलार्थी बदली कार्यकर्ता है और यदि हां, तो क्या वह प्रतिवादी बैंक में समाहित होने का हकदार है, यह इस मामले में निर्णय का विषय है।

अपीलार्थी का मामला इस प्रकार है। कि उन्हें 30.10.1988 पर बैंक ऑफ इंडिया की श्यामसुंदर शाखा में एक स्थायी रिक्ति के खिलाफ बदली अधीनस्थ कर्मचारी/सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने वहाँ 16.04.1991 तक लगभग 492 दिनों तक काम किया था। 16.4.1991 पर बैंक के शाखा प्रबंधक ने उन्हें और काम नहीं करने के लिए कहा। बाद में उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक को एक अभ्यावेदन दिया और परिपत्र संख्या का हवाला देते हुए उन्हें बैंक में एक नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया। बैंक संघ का दिनांक 7 सितंबर 1990 का XVIII/90/20, जिसमें बादली सिपाहियों के अवशोषण का उल्लेख किया

गया था और प्रबंधन और संघ के बीच किया गया द्विदलीय समझौता उसी के बारे में जो प्रदान करता है किः

> "...बादली के जिस कर्मचारी ने फरवरी 1988 के बाद स्थायी रिक्तियों में 12 महीने के ब्लॉक में 240 दिन से अधिक काम किया है, उन्हें रिक्तियां आने पर स्पष्ट रिक्तियों में समाहित कर लिया जाएगा।"

चूंकि उन्हें बैंक से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक रिट दायर की उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर बैंक को उन्हें एक नियमित कर्मचारी के रूप में शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई।

प्रतिवादी बैंक ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में अन्य बातों के साथ-साथ यह रुख कायम रखा कि अपीलकर्ता केवल कुली के रूप में काम कर रहा था, बदली सिपाही के रूप में नहीं, इसलिए वह अवशोषण के लिए विचार किए जाने का हकदार नहीं है।

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांकित 14/3/1996 आदेश के माध्यम से अदालत ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और बैंक को उसे शामिल करने का निर्देश दिया। इस निर्णय को डिवीजन बेंच के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच [मुख्य

न्यायाधीश वी. एन. खरे के माध्यम से बोलते हुए (जैसा कि उनका उस समय आधिपत्य था)] ने निम्नलिखित शर्तों में अपील को मंजूरी दीः

> "हमने रिकॉर्ड और बैंक अधिकारियों के विरोध में हलफनामे पर गौर किया है और पाया है कि बैंक अधिकारियों, अपीलकर्ताओं का यह निश्चित मामला था कि रिट याचिकाकर्ता बादली कर्मचारी नहीं था और किसी भी कीमत पर इसका हकदार नहीं था। सेवा में समाहित किया जाए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आवेदन स्वीकार करते समय मामले के उस पहलू पर विचार नहीं किया। विद्वान एकल न्यायाधीश को पहले रिट याचिकाकर्ता की स्थिति का पता लगाना चाहिए था कि उसने बैंक के साथ किस हैसियत से काम किया है। ऐसे किसी निष्कर्ष के अभाव में, विद्वान एकल न्यायाधीश का आक्षेपित आदेश/निर्णय रद्द किये जाने योग्य है। हम तदनुसार विवादित आदेश/निर्णय को रद्द करते हैं। हम रिट याचिका को बैंक द्वारा विरोध में अपने हलफनामे में उठाए गए रुख पर विचार करने के बाद इसे जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश के साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजते हैं।"

( जोर दिया गया)

इस प्रकार मामला फिर से एकल न्यायाधीश के समक्ष वापस आ गया विभिन्न दस्तावेजों की सराहना करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता प्रासंगिक अवधि के दौरान बैंक के साथ काम कर रहा था और यह अभिनिर्धारित किया किः

> "ऊपर उद्धृत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार विभिन्न दस्तावेजों का उत्पादन किया गया था। निरीक्षण किया गया था और वहां का नोट तैयार किया गया था और दोनों विद्वान वकीलों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। मुझे यह संयुक्त नोट्स की सामग्री से प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने संलग्न किया था बैंक उसकी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए एक स्थायी उप-कर्मचारी के स्थान पर। उन्हें वेतन दिया गया। इसके अलावा जब याचिकाकर्ता ने दो पत्र संलग्नक 'ए' और 'बी' भेजकर अभ्यावेदन दिया, तो प्रतिवादी बैंक ने इनकार नहीं किया और न ही इसका कोई जवाब दिया। रिट याचिकाकर्ता ने उप-कर्मचारी की क्षमता में बैंक में याचिकाकर्ता की नियुक्ति के साक्ष्य के रूप में तीसरे पक्ष द्वारा लिखे गए विभिन्न दस्तावेजों को भी संलग्न किया है। इन दस्तावेजों में याचिकाकर्ता की सेवा उप-कर्मचारी की क्षमता में प्रदान किए जाने के तथ्य का पुष्ट मूल्य भी है।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता ने एक विशेष कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। कम से कम याचिकाकर्ता ने जनवरी 1990 से दिसंबर 1990 की अवधि के दौरान 240 दिनों तक लगातार सेवाएं प्रदान कीं।

तो उपरोक्त संयुक्त समझौते और/या मानदंडों और/या नीतियों के मद संख्या 5 के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने 10 फरवरी 1988 के बाद एक कैलेंडर वर्ष के 12 महीनों के ब्लॉक में बादली सेवा के 240 दिनों से अधिक सेवाएं प्रदान की हैं। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि याचिकाकर्ता उपरोक्त मानदंडों और/या पात्रताओं को पूरा करने के कारण शामिल होने का हकदार है।"

(जोर दिया गया)

नतीजतन, विद्वान एकल न्यायाधीश ने बैंक को यहां अपीलकर्ता को समाहित करने का निर्देश दिया। यह आदेश डिवीजन बेंच के समक्ष अपील में लाया गया था।

विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए कुछ निष्कर्षों के आधार पर 1998 की एम. ए. टी. संख्या 3014 वाली अपील को 24.02.1999 पर अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने पाया किः

"यह तथ्य कि विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं 'यह मुझे प्रतीत होता है' शब्दों का उपयोग किया है, यह दर्शाता है कि यह साबित करने के उद्देश्य से अभिलेख पर कुछ भी नहीं रखा गया था कि प्रथम उत्तरदाता को बदली सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था। किसी भी स्थिति में ऐसा रिट कार्यवाही में प्रश्न पर निर्णय दिया जा सकता है।"

इसके बाद विद्वान खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जिस द्विपक्षीय समझौते के आधार पर अपीलकर्ता ने यहां अपने दावे किए हैं, उसे रिट आवेदन दायर करके लागू नहीं किया जा सकता है और अभिनिर्धारित किया गयाः

". . . अपीलार्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक 'राज्य' होने के नाते, एक रिट याचिका पर केवल तभी विचार किया जाता है जब प्रथम प्रत्यर्थी भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत अपने किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन साबित करता है। यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के तहत किसी श्रमिक के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित किया गया है, तो एक रिट अदालत के लिए उचित तरीका यह होगा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दे। और पक्षों को एक औद्योगिक विवाद को उठाकर वैधानिक

वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने के लिए कहें जो अधिक त्वरित और प्रभावी हो।"

इसलिए विद्वान खंड पीठ ने अधिकारियों के एक समूह को उद्धृत करते हुए कहा कि नियमितीकरण नियुक्ति का उचित तरीका नहीं है। नतीजतन, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया गया।

डिवीजन बेंच के इस फैसले पर हमारे सामने आपत्ति है।

इससे पहले के अवसर पर जब डिवीजन बेंच द्वारा मामले पर विचार किया गया था तो प्रतिवादी-बैंक ने वैकल्पिक का कोई मुद्दा उपचार या रिट याचिका की गैर-रखरखाव से संबंधित कोई प्रश्न नहीं उठाया था। । हम यह भी देख सकते हैं कि जब इस तरह के मुद्दे उठाए गए थे और उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था, तो यह लिया जाना चाहिए कि खंड पीठ ने ऐसी दलीलों खारिज कर दिया था और खंड पीठ के आदेश को विद्वान एकल न्यायाधीश को मामले को वापस भेजने की अपील को अपील में नहीं लिया गया और यह अंतिम हो गया। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश संबोधित करने के लिए बाध्य था केवल एक मुद्दे पर जिस पर मामला स्थगित किया गया था। इस प्रकार, खंड पीठ रिमांड के बाद दूसरे अवसर पर विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से उत्पन्न अपील में इन तथ्यों की अनदेखी नहीं कर सकती थी और इस सवाल पर जाने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या रिट याचिका पर विचार किया जा सकता था या नहीं। इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय इन तथ्यों की

अनदेखी नहीं कर सकता था और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यह कहना बहुत प्राथमिक है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग संविधान के भाग III के तहत उपलब्ध मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।उच्च न्यायालयों ने अक्सर कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। इसलिए, यह विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए खुला है कि वह प्रतिवादी बैंक को उचित निर्देश जारी कर सके, यदि अन्यथा तथ्यों पर उचित हो। मामले को स्पष्ट करने के लिए, हम स्टाइल (ड्रेस लैंड) बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, [1999) 7 एससीसी 89 का हवाला दे सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

> " नवीकरण की कार्यवाही का आकलन प्रकृति पर नहीं किया जाना चाहिए लेकिन उस कार्य का अभ्यास करने वाले निकाय की सार्वजनिक प्रकृति के आधार पर आँका जाना चाहिए और ऐसी कार्यवाही न्यायिक समीक्षा के लिए खुली होगी, भले ही वह संविदात्मक क्षेत्र से संबंधित हो।"
>
> (जोर दिया गया)।

इस मामले में, 1996 के एफ. एम. ए. टी.संख्या 1119 में डिवीजन बेंच के निर्देश के अनुसार, विद्वत एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों को देखा और एक राय बनाई कि अपीलार्थी

प्रासंगिक अवधि के दौरान बैंक के साथ काम कर रहा था। विद्वत एकल न्यायाधीश के लिए निर्विवाद दस्तावेजों को देखना और अपीलार्थी के रोजगार की स्थिति के बारे में अनुमान लगाना भी अनुचित नहीं है। निर्विवाद तथ्यों की जांच को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। के के कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य, [ 1959 ] 2 सप. एससीआर 316; इकराम हुसैन, मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1964] 4 एस. सी. आर. 86; सरकार. ए. पी. बनाम कारी चिन्ना वेंकट रेड्डी, [1995] अनुपूरक 1 एससीसी 462। इसलिए, डिवीजन बेंच के निर्देश के अनुसार विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसकी शक्तियों की सीमा के भीतर है।।

वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दर्ज किया है कि प्रत्यर्थी-बैंक वकील ने "किसी भी अनिश्चित शर्तों में कहा था कि यदि याचिकाकर्ता (हमारे समक्ष अपीलकर्ता) एक बद्ली सिपाही के रूप में सगाई पर अपने मामले को स्थापित करने में सक्षम है, वह उपरोक्त परिपत्र में दर्ज अनुसार प्रतिवादी-बैंक द्वारा कर्मचारी संघ के साथ तय और सहमत मानदंडों और/या नीतियों के आधार पर शामिल होने का हकदार है।

इस संदर्भ में, खंड पीठ द्वारा विवादित निर्णय में व्यक्त किया गया विपरीत दृष्टिकोण कानून के आधार पर आधारित है जो मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और उस आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश के

आदेश को उलट नहीं देना चाहिए था। अतः विवादित निर्णय न तो कानून में और न ही तथ्यों पर टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

तत्काल मामले में विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी बदली कार्यकर्ता है या नहीं। हमारे सामने प्रतिद्वंद्वी तर्क यह है कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-सी के बदली कामगार के स्पष्टीकरण के तहत नहीं आएगा। स्पष्टीकरण के तहत बदली कामगार की वह परिभाषा केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-सी के उद्देश्यों तक सीमित है और जरूरी नहीं कि वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों पर लागू हो। लालप्पा लिंगप्पा बनाम।लक्ष्मी विष्णु वस्त्रमिल्स, [1981] 2 एस. सी. सी. 238, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "बदली कर्मचारी विकल्प के अलावा और कुछ नहीं हैं। वे 'अतिरिक्त लोगों' की तरह हैं जो नौकरी की प्रतीक्षा करते हुए 'नियोजित' नहीं हैं। "बज बज जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम वर्कमैन, (1970) 1 एल. एल. जे. 222, में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ". एक बदली या एक विशेष बदली एक कर्मचारी है जिसे एक स्थायी कर्मचारी के रिक्त पद या एक परिवीक्षाधीन पर नियुक्त किया जाता है। जो अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। इस प्रकार एक बादली कर्मचारी का अर्थ केवल एक व्यक्ति से है जो एक आकस्मिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत है जो दूसरे के स्थान पर काम कर रहा है। बैंक संघ का दिनांक 7 सितंबर 1990 का परिपत्र सं.

XVIII/90/20, में प्रकाशित द्विदलीय समझौते के आधार पर ऐसा बादली कार्यकर्ता तब शामिल होने का हकदार है जब वह बारह महीने के ब्लॉक में या 10 फरवरी 1988 के बाद एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों की बादली सेवा पूरी करता है। संबंधित दस्तावेजों पर विचार करने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर, आवश्यक अवधि के लिए अपीलार्थी की सेवा के तथ्य पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

उनके कार्य प्रोफाइल का नाम बदल सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने 240 दिनों से अधिक समय के लिए एक अस्थायी पद की रिक्ति में सेवाएं प्रदान कीं। यह अवशोषण के उद्देश्य से उसे बादली के रूप में मानने के लिए पर्याप्त है। अतः उसके पास द्विदलीय आधार पर प्रत्यर्थी बैंक में अवशोषित होने का एक कानूनी अधिकार है ( आम तौर पर गुजरात कृषि विश्वविद्यालय बनाम राठौड़ लाभु बेचार और अन्य, [2001] 3 एस. सी. सी. 574 देखे)। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश को खंड पीठ के आदेश को उलटने में पुष्टि की जानी चाहिए।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी-बैंक की किसी भी शाखा में कोई पद उपलब्ध नहीं होने पर एक अतिरिक्त पद के सृजन का निर्देश दिया था। अपीलकर्ता को कार्यभार ग्रहण की तिथि से ऐसे पद पर सेवा में नियमित किये जाने का निर्देश दिया गया। इस हेतु दो माह का समय दिया गया।

इस स्तर पर, उत्तरदाता के विद्वान वकील-बैंक ने प्रस्तुत किया कि अब बैंक ने नई भर्तियों की संख्या को कम करके और मौजूदा कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश करके अपने कार्यबल को कम करने का नीतिगत निर्णय लिया है बैंक की सामान्य नीति के खिलाफ एक अतिरिक्त कर्मचारी को शामिल करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। इन परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई राहत के संशोधन में, हम निर्देश देते हैं कि प्रत्यर्थी-बैंक अपीलार्थी को एक रिक्त पद में अवशोषित करेगा या, एक उपयुक्त पद में किसी भी रिक्ति के अभाव में, अपीलार्थी को मौद्रिक रूप से क्षतिपूर्ति करेगा। मुआवजे की प्रत्यर्थी-बैंक की स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के अनुसार गणना इस आधार पर की जाएगी कि अपीलार्थी को पहली जनवरी 1999 को सेवा में नियमित किया गया था और इस निर्णय की तारीख से स्वेच्छा से ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था। इनमें से कोई भी लाभ आज से दो महीने के भीतर दिया जाना चाहिए।

अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

वी. एस. एस

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल  द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।